www.rjvs.in

/rjvs.ngo

“हौसलों की उडान”

जुलाई-सितम्बर 2025

अंक - 03

किशोरियों की उड़ान

23-24 अगस्त को राजसमंद जन विकास संस्थान कार्यालय में आगाज़ परियोजना के अंतर्गत दो दिवसीय क्षमता निर्माण प्रशिक्षण आयोजित हुआ। राजसमंद और भीलवाड़ा जिले की 32 किशोरी बालिका लीडर्स ने इसमें भाग लिया।

प्रशिक्षण का उद्देश्य था किशोरियों में आत्मविश्वास, नेतृत्व कौशल और सामाजिक समझ का विकास करना, ताकि वे शिक्षा को बढ़ावा देने, बाल विवाह रोकने और लैंगिक समानता स्थापित करने में अपनी भूमिका मज़बूती से निभा सकें।

सत्रों के दौरान प्रतिभागियों ने सीखा कि समाज में लड़कियों और लड़कों के बीच बनने वाली असमानताओं को कैसे समझा और चुनौती दी जा सकती है। साथ ही, उन्होंने यह भी जाना कि एक सशक्त लीडर के रूप में अपने समूह और समुदाय में प्रभावी बदलाव कैसे लाया जा सकता है।

प्रशिक्षण में संवाद और जीवन कौशल जैसे आत्म-पहचान, निर्णय क्षमता, समस्या समाधान और समूह में कार्य करने की कला पर विशेष बल दिया गया। व्यावहारिक सत्रों के माध्यम से किशोरियों को समूह बैठक की योजना बनाना, एजेंडा तय करना और कार्यवाही दर्ज करने की प्रक्रिया का अनुभव कराया गया।

इसके साथ ही, पंचायत राज व्यवस्था और शासन के विभिन्न स्तरों पर अपनी आवाज़ को प्रभावी ढंग से पहुँचाने के तरीकों पर भी चर्चा हुई। दो दिनों तक चले इस सत्र ने किशोरियों को अपने भीतर छिपी संभावनाओं को पहचानने, विचारों को आत्मविश्वास से व्यक्त करने और अपने समुदाय में सकारात्मक बदलाव की दिशा में कदम बढ़ाने की प्रेरणा दी।

यह प्रशिक्षण केवल ज्ञान प्राप्त करने का अवसर नहीं था, बल्कि एक ऐसा अनुभव था जिसने इन किशोरियों के भीतर नेतृत्व और समानता की भावना को नई उड़ान दी।

आजादी का उत्सव

79वां स्वतंत्रता दिवस राजसमंद जन विकास संस्थान के प्रधान कार्यालय में देशभक्ति के उत्साह के साथ मनाया गया।
निदेशक शकुन्तला पामेचा ने ध्वजारोहण कर सभी को संविधान के कर्तव्यों के पालन का संदेश दिया। किशोरियों के मनमोहक नृत्य और देशभक्ति गीतों से माहौल गुंजायमान हो उठा।
मुख्य अतिथि नारायण लाल रेगर ने स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को याद किया। कार्यक्रम में संस्थान के सदस्यों ने एकता और राष्ट्रनिर्माण में सामूहिक भागीदारी के संकल्प को दोहराया।
अंत में सभी ने मिलकर "वंदे मातरम्" की गूंज के साथ आज़ादी के 79 गौरवशाली वर्षों को नमन किया।

संगठन की ताक़त – एकल महिलाओं की आवाज़

7 अगस्त 2025 का दिन, जब राजसमंद जन विकास संस्थान में अपराजिता परियोजना के तहत एक अलग ही उत्साह देखने को मिला। रेलमगरा, खमनोर, कुम्भलगढ़ व आमेट ब्लॉक की 13 ग्राम पंचायतों से आईं 121 एकल महिलाएँ अपने अनुभव, सवाल और सपने लेकर एक जगह जुटीं।
शुरुआत हुई अध्यक्ष पुष्पा सिंघवी के एक सरल लेकिन गहरे उदाहरण से। उन्होंने लकड़ियों का बंडल उठाया और दिखाया — "अकेली लकड़ी आसानी से टूट जाती है, लेकिन साथ जुड़कर कोई भी ताक़त हमें नहीं तोड़ सकती।" इस खेल के ज़रिए सभी ने महसूस किया कि संगठन ही असली शक्ति है।
बात आगे बढ़ी तो नारी अदालत के किस्से सामने आए — कैसे संगठन ने मिलकर कई महिलाओं को न्याय दिलाया। परामर्शदाता केलाश रेगर ने जीवन की मुश्किल घड़ियों में रास्ता खोजने की बातें साझा कीं। वहीं पवन कुमारी ने पेंशन, पालनहार, विधवा पुत्री विवाह, अंतरजातीय विवाह और नरेगा जैसी योजनाओं की जानकारी दी, जिससे कई चेहरों पर उम्मीद की चमक दिखाई दी।
इस बीच, महिलाओं ने अपनी सच्चाई भी सबके सामने रखी। तुलसी बाई (सकरावास) ने कहा — "पति के गुजर जाने के बाद मुझ पर ऐसा कर्ज़ थोप दिया गया, जिसका मुझे पता ही नहीं था। अब ढाई लाख रुपए चुकाने की माँग की जाती है, जबकि मैं यह बोझ उठा ही नहीं सकती।" उनकी पीड़ा सुनकर सबका दिल भर आया, लेकिन साथ ही सबने महसूस किया कि मिलकर लड़ने से ही इन समस्याओं का हल निकल सकता है।
यह प्रशिक्षण सिर्फ जानकारी का मंच नहीं था, बल्कि एक ऐसा अनुभव बना जिसने एकल महिलाओं को यह विश्वास दिलाया — "हम अकेली नहीं हैं, हमारी आवाज़ संगठित होकर और बुलंद होगी।"

कार्यकर्ताओं का क्षमतावर्धन

तीन दिवसीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण में सीखने और आत्म-विकास का जीवंत माहौल देखने को मिला। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य था कार्यकर्ताओं को किशोरियों और समुदाय के साथ प्रभावी संवाद, नेतृत्व और सहयोग की दिशा में सशक्त बनाना।
सत्रों में जीवन कौशल जैसे आत्म-पहचान, आलोचनात्मक चिंतन, प्रभावी संप्रेषण और निर्णय क्षमता पर विशेष ध्यान दिया गया। कार्यकर्ताओं ने जाना कि कैसे ये कौशल किशोरियों को आत्मविश्वासी बनाने और बाल विवाह जैसे मुद्दों पर समुदाय में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद कर सकते हैं।
प्रशिक्षण में समूह बैठकों की बेहतर योजना, डिजिटल रिपोर्टिंग, सरकारी योजनाओं की जानकारी और रचनात्मक लेखन जैसे व्यावहारिक पहलुओं पर भी काम हुआ।
यह तीन दिन कार्यकर्ताओं के लिए सिर्फ सीखने का नहीं, बल्कि अपने भीतर छिपी नेतृत्व शक्ति को पहचानने का अवसर बने — जो अब परियोजना गाँवों में परिवर्तन की नई दिशा तय करेंगे।

संस्थान अध्यक्ष पुष्पा सिंघवी, राजसमन्द महिला मंच संयोजिका शकुन्तला पामेचा और युवा सदस्य दुर्गा गायरी द्वारा जिला कलेक्टर श्री अरुण कुमार हसिजा एवं जिला पुलिस अधीक्षक राजसमन्द श्री मनीष त्रिपाठी से मिल कर उनका अभिनन्दन किया और संस्था द्वारा किए जा रहे कार्यों की वार्षिक प्रगति रिपार्ट और त्रेमासिक पत्रिका की प्रति भेंट की। इसके साथ ही संस्था द्वारा महिला कानूनी अधिकार और बच्चों से संबंधित पोक्सो व कानूनी अधिकार की जानकारी से संबंधित तैयार की गयी प्रति का विमोचन कराया गया।

938

परिवारों का सरकारी योजनाओं से जुडाव

94

ड्रॉपआउट का शिक्षा से जुडाव

72% बच्चों का जुडाव

92

हिंसा के मामलों में पीड़िता को मदद

86% मामलो का निस्तारण

पाठकों की प्रतिक्रियाएं

महिलाओं और लड़कियों के जीवन में बदलाव लाने के लिए पूरी टीम को बधाई।

डॉ. ओमप्रकाश कुल्हारी कल्प संस्थान

आपने सरपंच, महिला मंच कार्यकर्ता व एकल नारी संगठन सदस्यों की बदलाव की कहानियों को 'नयी पहल' के साथ सम्मिलित किया, यह अच्छा लगा

राघवेन्द्र देव शर्मा (दूसरा दशक)

आमेट निवासी दाषीनी (बदला नाम) पिछले कई महीनों से घरेलू हिंसा और पारिवारिक प्रताड़ना का सामना कर रही थीं। मानसिक तनाव और असुरक्षा के कारण वे अपने मायके में रह रही थीं। अंततः उन्होंने साहस दिखाते हुए अपनी समस्या महिला मंच नारी अदालत, राजसमंद में दर्ज कराई।

दाषीनी का केस घरेलू हिंसा के अंतर्गत नारी अदालत में पंजीकृत हुआ। प्रार्थिया ने बताया कि ससुराल में उन्हें छोटी-छोटी बातों पर अपमानित और प्रताड़ित किया जाता था — जैसे "खाना ठीक से क्यों नहीं बनाया", "पहले क्यों खा लिया", "सबके साथ क्यों नहीं खाया" आदि।

इसके अलावा, उन्हें अपनी मां से बात करने से भी रोका जाता था। जब वे मायके जातीं, तो ससुराल वाले बच्चा छीन लेते और उन पर गलत आरोप लगाते कि वह बच्चे को छोड़कर चली गई हैं। विरोध करने या कानूनी कार्यवाही की बात करने पर उन्हें तलाक और बच्चे को न देने की धमकी दी जाती थी।

दिनांक 2 जुलाई 2025 को नारी अदालत की बैठक में दाषीनी ने पूरी व्यथा सुनाई। अदालत की महिलाओं और सदस्यों ने दोनों पक्षों को तीन बार बुलाकर काउंसलिंग की, उनकी बातों को धैर्यपूर्वक सुना और पारिवारिक विवाद को सुलझाने का प्रयास किया।

लगातार संवाद और परामर्श के बाद दोनों पक्षों के बीच आपसी समझौता हो गया। पति ने अपने व्यवहार में सुधार का आश्वासन दिया और पत्नी व बच्चे को साथ रखने पर सहमति जताई।

आज दाषीनी अपने पति और बच्चे के साथ खुशीपूर्वक अपने घर में रह रही हैं।

यह मामला दर्शाता है कि नारी अदालत के माध्यम से संवाद, सहानुभूति और सामूहिक प्रयास से पारिवारिक विवादों का शांतिपूर्ण समाधान संभव है।

मांगी बाई वैरागी (55 वर्ष) ने साहस और दृढ़ता के साथ धोखाधड़ी के खिलाफ आवाज़ उठाई और अंततः महिला मंच, राजसमंद की मदद से न्याय प्राप्त किया।

वर्ष 2012 में उनके ससुर धनदास वैरागी ने राजसमंद जिला सहकारी भूमि विकास बैंक लि. से लोन लिया था। अधिकांश किश्तें चुकाने के बाद उनका निधन हो गया। निधन के पश्चात बैंक द्वारा मरणोपरांत ऋण माफी की घोषणा की गई, जिससे परिवार को विश्वास हुआ कि लोन माफ हो गया है।

लेकिन कुछ समय बाद, लोन एजेंट ने मांगी बाई से कहा कि लोन माफी के लिए पति के दस्तावेज़ जमा करवाने होंगे। विश्वास में आकर मांगी बाई ने दस्तावेज़ दे दिए, परंतु एजेंट ने उनकी जानकारी के बिना पति के नाम पर नया लोन पास कर दिया।

बाद में बैंक ने मांगी बाई से ₹9.50 लाख की वसूली शुरू कर दी और घर की कुर्की का आदेश जारी कर दिया। इस सदमे में मांगी बाई ने राजसमंद महिला मंच का सहारा लिया। मंच की संस्थाप्रधान और कार्यकर्ताओं ने पूरा मामला समझकर

- पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाने में मदद की,
- एस.पी. कार्यालय तक मामला पहुँचाया,
- और बैंक से सीधे संवाद स्थापित किया।

लगातार प्रयासों के बाद बैंक ने एजेंट की गलती स्वीकार की और महिला मंच के हस्तक्षेप से मामला सेटलमेंट के तहत ₹3.50 लाख में निपटा दिया गया। 8 मई 2025 को ब्याज सहित पूरी राशि जमा कर खाते को बंद कर दिया गया।

13 अगस्त 2025 को बैंक ने पुष्टि की कि सभी देनदारियाँ समाप्त हो चुकी हैं।

मांगी बाई ने कहा —

"महिला मंच ने मुझे हिम्मत दी, साथ दिया और न्याय दिलाया। अब मुझे अपने अधिकारों पर विश्वास है।" यह मामला दर्शाता है कि जब महिलाएँ संगठित होकर आवाज़ उठाती हैं, तो न्याय अवश्य मिलता है।

कृपया आपके विचार व प्रतिक्रियाएं हमसे साझा करें

संचार अधिकारी
राजसमन्द जन विकास संस्थान
01, सोमनाथ चोराहे के पास, नाथद्वारा रोड,
कांकरोली, राजसमन्द, 313342
फ़ोन: 02952-221909, ईमेल: rjvs10@yahoo.in